<u>प्रेस नोट</u> **<u>दिनांक 22.09.2020</u>**

<u>सराहनीय कार्य जनपद बागपत</u>

- **थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पशु कूरता अधिनियम में 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक गाडी टाटा 407 मय कूरतापूर्वक भरे हुए 18 पशु बरामद।**

थाना कोतवाली बागपत– पुलिस द्वारा दिनांक 21.09.2020 को चैकिंग के दौरान अमरावती गेट दिल्ली सहारनपुर रोड से अभियुक्त 1–विक्रम पुत्र राजवीर निवासी नाथूराम कालोनी गली न0–5 फतेहाबाद हरियाणा 2–रहीसू पुत्र बाबू निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से एक टाटा 407 नम्बर एचआर–63ए–6167 मय कूरतापूर्वक भरे हुए 18 पशु बरामद किये गये है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना छपरौली पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में नामित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना छपरौली–

दिनांक 21.09.2020 को वादी जगपाल पुत्र जिलेसिंह निवासी ग्राम ककोर थाना छपरौली ने थाना आकर लिखित तहरीर दी कि उसके भाई सोहनपाल उम्र करीब 65 की गला दबाकर हत्या करना व षव को छिपाने के उददेष्य से यमुना नदी में बहा दिया व उसके साथ मारपीट की है। इस सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0स0 302/2020 धारा 201,302,323 भादवि बनाम 1–धर्मेन्द्र 2–पंकज पुत्रगण सोहनपाल 3–ललिता पत्नी धर्मेन्द्र निवासीगण ग्राम ककोर थाना छपरौली जनपद बागपत पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 22.09.2020 को थाना छपरौली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर हलालपुर मन्दिर के पास से मु0अ0स0 302/2020 धारा 201,302,323 भादवि में नामित अभियुक्त 1–धर्मेन्द्र 2–पंकज पुत्रगण सोहनपाल 3–ललिता पत्नी धर्मेन्द्र निवासीगण ग्राम ककोर थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना छपरौली पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण :–

अभियुक्त धर्मेन्द ने पूछताछ पर बताया कि उसकी पत्नी व उसके पिता के मध्य अवैध सम्बन्धों के षक में उपरोक्त नामित अभियुक्तो द्वारा दिनांक 18.09.2020 की रात्रि में पिता सोहनपाल की गला दबाकर हत्या करना व षव को छिपाने के उददेष्य से यमुना नदी में बहा देना स्वीकार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पता :–

1–धर्मेन्द्र पुत्र सोहनपाल निवासी ग्राम ककोर थाना छपरौली जनपद बागपत।
2–पंकज पुत्र सोहनपाल निवासी ग्राम ककोर थाना छपरौली जनपद बागपत।
3–ललिता पत्नी धर्मेन्द्र निवासी ग्राम ककोर थाना छपरौली जनपद बागपत।

- **थाना एएचटीयू बागपत द्वारा चलाये जा रहे नो चाइल्ड लेवर अभियान के दौरान 03 बाल श्रमिको का कराया गया रेस्कयू।**

आज दिनांक 22.09.2020 को श्री मनीष मिश्र अपर पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत/नोडल अधिकारी ए0एच0टी0यू0 जनपद बागपत व श्री मंगल सिह रावत क्षेत्राधिकारी खेकडा के कुशल नेतृत्व में थाना एएचटीयू बागपत टीम द्वारा नो चाइल्ड लेवर अभियान चलाया गया। जिसमे थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र से 03 बाल श्रमिको का रेस्कयू किया गया। बाल श्रमिको को मा0 न्यायालय सीडब्लूसी बागपत के समक्ष पेष कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>रेस्क्यू किये गये बाल श्रमिको व सेवायोजक/निरीक्षत प्रतिष्ठान का नाम व पता एवं बच्चों का किया गया कार्य–</u>

1–कमल पुत्र स्व0 श्री अनिल कुमार निवासी नूरपुर मसूरी थाना खेकडा जनपद बागपत उम्र करीब 13 वर्ष।

यह बाल श्रमिक प्रहलाद पुत्र मांगेराम निवासी सांकरौद थाना खेकडा जनपद बागपत के यहां वंष इलैक्ट्रोनिक्स पाठषाला खेकडा रोड पर दुकान पर ग्राहको को सामान दिखाने में हैल्पर का कार्य कर रहा था।

2–अनस पुत्र नौषाद निवासी फव्वारा के निकट कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत उम्र करीब 14 वर्ष।

यह बाल श्रमिक काला पुत्र दीनू निवासी ग्राम सांकरौद थाना खेकडा जनपद बागपत के यहां काला रिपेयरिंग सैन्टर पाठषाला पर मोटरसांईकिल रिपेयरिंग, मरम्मत में हैल्पर का कार्य कर रहा था।

3–सूफियान पुत्र मेहरबान निवासी भातेपुर जनपद सहारनुपर उम्र करीब 14 वर्ष।

यह बाल श्रमिक गुलफान पुत्र इस्लाम निवासी बाहरी बस्ती बडौत रोड बागपत के यहां गुलफाम बुग्गी रिपेयरिंग के यहां पर बुग्गी रिपेयरिंग/मरम्मत में हेल्पर का कार्य कर रहा था।

टीम–

1–पीएन बिजल्वाण श्रम प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक अर्न्तगत बाल और किषोर श्रम अधिकारी बागपत।

2–उप0निरी0 श्री धर्मेन्द्र सिह सन्धु प्रभारी ए0एच0टी0यू0 जनपद बागपत।

3–श्री देवेन्द्र धामा नवोदय लोक चेतना कल्याण समिति जनपद बागपत।

4–आरक्षी 106 प्रवीण कुमार–थाना ए0एच0टी0यू0 जनपद बागपत।

- **जनपद बागपत पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना बागपत–पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर गौरीपुर मोड से मु0अ0स0 65/2020 धारा 377 भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त 1–फिरोज पुत्र यूसुफ लंगडा निवासी मौहल्ला कुरेषियान कस्बा व थाना बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना बागपत पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।